



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1649 वर्ष 2026

शम्सुद्दीन खान
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : मोहम्मद अफजल असारी
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. प्रारंभ में ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में यह बयान दिया है कि यह रिट याचिका निष्प्रभावी हो गई है क्योंकि मांगी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही पंजीकृत हो चुकी है।
3. राज्य के विद्वान एजीए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
4. उपरोक्त के मददेनजर, यह रिट याचिका निष्फल होने के कारण खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

4 फरवरी, 2026
कैरू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"